सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या:— 122/2012 दायर दिनाँक 01.08.2012

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. हरिराम दत्तक पुत्र चुनकी व स्व0 भोलूराम नाबालिक जरिये कुदरती पिता सुरेश कुमार पुत्र नाथुराम जाति जाट निवासी रिक्साबास (धनकोली) तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान	बनाम्	1. जयराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हरिगाजूण तहसील नांवा जिला नागौर 2. चुनकी पत्नी स्व0 भोलूराम 3. सन्तोष पुत्री स्व0 भोलूराम 4. मुन्नी पुत्री स्व0 भोलूराम समस्त जाति जाट निवासी रिक्साबास (धनकोली) तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 5. उप तहसीलदार, मौलासर

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act.

उपस्थित:—

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील प्रार्थी।
2. श्री हीरसिंह बलारा वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 11.11.2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, मौजा रिक्साबास की सरहद के खसरा सं0 299 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 230, 232, 243, 244, 256 व 298 कुल खसरा 06 कुल रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 255 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। वंशावली प्रार्थना पत्र के साथ पेशहै।

उक्त स्व0 दुलाराम के वारिसान के हक व हिस्सा तथा खातेदारी में सभी खसरा नम्बरान की जमीन में से स्व0 भोलूराम का हक व हिस्सा 20 बीघा 16 बिस्वा था। खसरा सं0 299 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा में से 03 बीझरर 06 बिस्वा, खसरा सं0 230, 232, 243, 244, 256, 298 कुल रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा में से 15 बीघा 15 बिस्वा व खेत खसरा सं0 255 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा में से 01 बीघा 15 बिस्वा जमीन स्व0 भोलूराम के हक व खातेदारी की थी। उसकी मृत्यू के बाद उसके वारिसान चूनकी बेवा, दो जाईन्दा लडकिया व एक चुनकी द्वारा अपने पति के नाम गोद लिया लडका हरिराम का हक व हिस्सा तथा खातेदारी अधिकार है।

अप्रार्थी संख्या 02 चूनकी पत्नी भोलूराम ने दिनांक 20.07.2009 को अपने पति के नाम एक गोद पुत्र हरिराम पुत्र सुरेश कुमार को

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–122/2012
दायर दिनाँक 01.08.2012 निर्णय दिनाँक 11.11.2019
तहसीलदार डीडवाना बनाम् सीमा बुगालिया, वगैरा।

गोद लिया तथा गोदनामें को उप पंजीयक मौलासर के यहा रजिस्ट्रर्ड करवाया तब से हरिराम स्व0 भोलूराम व बेवा चूनकी का दत्तक पुत्र है। इस प्रकार उक्त खेत खसरा की जमीन 20 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी का अपनी गोद माता चूनकी व उसकी दो लडकियों के साथ प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है और उस हिस्से पर भोलूराम के वारिसान सामलाती रूप से काबिज है।

दिनांक 27.07.2012 को मुन्नी देवी ने अपने संभावित हिस्सा 1/3 न होते हुए भी 1/3 हिस्सा मानकर उक्त जमीन में से एक बैचाण रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 01 जयराम के पक्ष में बिना अधिकार करवादी। मुन्नी देवी का भोलूराम की सम्पति में केवल 1/4 हिस्सा है उसे 1/3 हिस्सा बेचने का कोई अधिकार नहीं है। बैचाण अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

मौजा रिक्सा बास की सरहद में उक्त खसरा नम्बर की जमीन 20 बीघा 16 बिस्वा स्व0 भोलूराम की खातेदारी की है उसमें प्रार्थी दत्तक पुत्र होने की वजह से 1/4 हिस्सा का हकदार है तथा अप्रार्थी संख्या 02 चूनकी व दो लडकियां अप्रार्थी संख्या 03 ता 04 अकेले ने राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरवा लिया है और प्रार्थी का म्यूटेशन में नाम नहीं चढवाया है। प्रार्थी नाबालिक है उसके अधिकारों की रक्षा वह स्वयं करने में असमर्थ है उसकी गोद माता चूनकी प्रार्थी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखना चाहती है। इसलिए प्रार्थी के कुदरती पिता ने यह जिम्मा लिया है तथा चूनकी प्रार्थी के गोदनामा व उसके जायज अधिकारों को चूनौती दे रही है। इसलिए प्रार्थी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है। प्रार्थी को अजहद नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं है।

प्रार्थना प्रार्थी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की सादर फरमाई जावें कि ताफैसला दावा मौजा रिक्सा बास की सरहद में खेत खसरा सं0 299 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 230, 232, 243, 244, 256 व 298 कुल खसरा 06 कुल रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 255 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा जो स्व0 भोलूराम के वारिसान की पैत्रिक सम्पति है और सामलाती है उसमें से 1/4 हिस्से में प्रार्थी का हक व अधिकार व कब्जा काश्त व खातेदारी की है उसमें अप्रार्थीगण दखल न तो स्वयं करें न ही अन्य ऐजन्ट से करावें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा चूनकी व सन्तोष अप्रार्थीगण बैचाण/हस्तान्तरण आदि नहीं करें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री हीरसिंह बलारा ने जवाब पेश किया। जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतः अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी मुन्नी देवी द्वारा किया गया बेचाण अवैध है मुन्नी देवी अपने हक हिस्से से अधिक का बेचान कर दिया है जिसे खारिज किया जावें तथा स्थगन आदेश खारिज किया जाता है तो अजनबी क्रेता जयराम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–122/2012
दायर दिनाँक 01.08.2012 निर्णय दिनाँक 11.11.2019
तहसीलदार डीडवाना बनाम् सीमा बुगालिया, वगैरा।

जबरन कब्जा करने का प्रयास करेगा जिससे वाद में पेचिदगियां बढ जायेगा। अतः स्थगन आदेश को मूल वाद तक कन्फर्म स्थाई किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी हरिराम के पिता सुरेश कुमार ने दिनांक 10.07.2009 को वादिया को बहला फुसलाकर खेतों का बंटवारा करवाने के बहाने कुचामनसिटी ले जाकर गोदनामा तैयार करके उसमें झूंठी ईबारत दर्ज कराते हुए वादिया का निशान अंगुठा करवाकर नोटेरी पब्लिक प्रेमसिंह राठौड से तस्दीक करवा लिया था। जब प्रतिवादी हरिराम का पिता सुरेश कुमार चूनीदेवी का पहले से ही गोद पुत्र बन गया तो फिर अपने पुत्र को चूनीदेवी का गोद पुत्र बनाया जाना गैर कानूनी है अर्थात दोनों ही गोदनामों का कोई विधिक महत्व नहीं है और खारिज योग्य है। प्रतिवादी हरिराम वादिया के साथ कभी भी नहीं रहा और न ही वादिया ने उसे पढाया लिखाया बल्कि प्रतिवादी हरिराम जन्म से ही अपने माता पिताके साथ रहता आया है और उसके माता पिता ने ही पढाया है। गोदनामा दिनांक 20.07.2009 में इस बात का उल्लेख किया है कि वादिया के पति स्व0 भोलूराम के जीवनकाल में ही दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श करके प्रतिवादी हरिराम को गोद देने के लिए उसके माता पिता को कहा हो और उन्होनें गोद देना स्वीकार कर लिया है यह तथ्य सरासर गलत ही नहीं बल्कि हास्यास्पद व आश्चर्यजनक भी है क्योंकि वादिया के पति का स्वर्गवास हुए करीब 23 वर्ष हो चुके है जबकि हरिराम वर्तमान में भी मात्र 11 साल का बालक है। इसी प्रकार उक्त गोदनामा में चूनकी की दोनों पुत्रियों की सहमति होने की बात भी गलत लिखाई है तथा उक्त गोदनामा में गोद लेने व देने की रस्म निभाने बाबत कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात गोदनामा की विधिक शर्तो का पालन नहीं किया गया। उक्त दस्तावेज के पठन से ही प्रथम दृष्टया यह दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि उक्त दस्तावेज में वादिया व उसके पति द्वारा गोद लिये जाने का कथन किया गया है जबकि जिस समय वादिया के पति की मृत्यू हुई उस समय हरिराम अस्तित्व में नहीं था। अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि वादिया प्रारम्भ से ही अपनी दो पुत्रियों के पास रह रही है तथा जिसके नाम उसके पति की सम्पति है जिसकों हरिराम के पिता सुरेश कुमार जैसे–तैसे हडपना चाहता है। इसलिये यह गोदनामा निष्पादित करवाया गया। गोदनामा में बेटियों की सहमति का वर्णन किया गया, जबकि सहमति के आधार पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त गोदनामा में प्राकृतिक माता–पिता व पहिचानकर्ता के रूप में दो हैसियत से सुरेश कुमार व उसकी पत्नी लिछमादेवी ने हस्ताक्षर किये है। यह भी उक्त दस्तावेज को संदेहास्पद करते है।

वकील अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश डीडवाना के दीवानी वाद सं0 33/2012 उनवान चुनीदेवी बनाम हरिराम निर्णय दिनांक 15.10.2018 के निर्णय की प्रति पेश की। उक्त निर्णय अनुसार दिनांक 20.07.2009 का पंजीकृत गोदनामा निरस्त किया गया।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। चूंकि दिनांक 20.07.2009 का पंजीकृत गोदनामा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। पंजीकृत गोदनामा निरस्त होने से हरिराम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–122/2012
दायर दिनाँक 01.08.2012 निर्णय दिनाँक 11.11.2019
तहसीलदार डीडवाना बनाम् सीमा बुगालिया, वगैरा।

किसी प्रकार से चूनकी का दत्तक पुत्र नहीं है। अप्रार्थी मुन्नी द्वारा अपने हक–हिस्से का बेचान किया है। चूंकि प्रार्थी हरिराम अब चूनकी का गोदपुत्र नहीं रहा है तथा न ही चूनकी के फौत हुए पति भोलूराम का दत्तक पुत्र है। अतः इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner